

राजस्व लोक अ
न्याय आपके द्वार-2018

रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि.

श्रीमानजी ग्राम टागा पर 21 क सासु की जमाबंदी में रखा
22 में फुलीदेवी धर्मपति गोरंगलाल दर्ज है जबकि नामान्तर
सं. 71 में फुलीदेवी धर्मपति गिरधारीलाल दर्ज है जमाबंदी
बनाते समय सहकर से गिरधारीलाल की बजाय गोरंगलाल
दर्ज हो गया जो गलत है। क्षतः नामान्तर सं. 71 में
फुलीदेवी पत्नी गिरधारीलाल दर्ज है वो सही है तथा अन्य दस्तावेज
जैसे डाधारकाई राशनकाई प्रत्याता पक्षपात पत्र शमाशाह कोड में फुलीदेवी
पत्नी गिरधारीलाल दर्ज है। क्षतः फुलीदेवी धर्मपति गोरंगलाल की बजाय फुलीदेवी
धर्मपति गिरधारीलाल किया जाना उचित है। रिपोर्ट श्रीमानजी के निवासे प्रेषण है।
रिपोर्ट तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

उपर दिखानार

क्र. 30/04/18
पटवारी
कम. राजीव

पार्श्वी फुलीदेवी धर्मपति गिरधारीलाल दर्ज है
नाम गोरंगलाल दर्ज हो गया वही नाम गिरधारीलाल
की पत्नी का नाम गोरंगलाल की बजाय गिरधारीलाल
किया गया उचित है।

01
01-05-21 B

आदेश 30/4/2018

पार्श्वी के प्रा. पत्र संख्या 22/2018 एवं जॉन्स रिपोर्ट (LR) Patwar के
अनुसार ग्राम टागा पर सासु की जमाबंदी सं. 2073-76 खाता नं. 22
में वर्तमान प्रविष्टि फुली देवी धर्मपति गोरंगलाल के स्थान पर
फुली देवी धर्मपति गिरधारीलाल संशोधन हेतु अभियांत्र की
जाती है। Note:- बैंक प्रविष्टि संशोधन रहेगी।

तहसीलदार (भू.अ.)
तारानगर (चूरु)

15/18

तहसीलदार तारानगर की दफ्तर में
इसका इलाकी का संशोधन

उपरखण्ड अधिकारी

11/5/18
उपरखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)